निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1143) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्तूबर 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

9 सितम्बर 2015

सं0 22 / नि0सि0(वीर0)–07–03 / 2006 / 2029—मुख्य अभियंता, वीरपुर के परिक्षेत्रान्तर्गत बाढ़ 2005 के पूर्व पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली के अधीन एजेंडा सं0–29 सी0 एवं 30 सी0 के तहत कराये गये कटाव निरोधक कार्यों की जाँच विभागीय निदेशानुसार उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभाग के स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त उक्त कार्यों में सम्मिलित सभी दोषी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली से विभागीय पत्रांक 999 दिनांक 26.09.06 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सिंह, सहायक अभियंता के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 787 दिनांक 08.07.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः–

''मुख्य अभियंता, वीरपुर के परिक्षेत्रान्तर्गत बाढ़ 2005 के पूर्व पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली के अधीन एजेंडा सं0 29 सी0 के तहत कराये गये स्पर पुनर्स्थापन कार्य के लिए आवश्यक ईंट की मात्रा 1,04,832 अदद से कम आपूर्ति करना एवं कम ईंट से ही खराब गुणवत्ता के कार्य करना अर्थात विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं करने के संबंध में।''

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी हैंः–

(i) आपूरित 55000 ईंटों से मापदण्ड के अनुरूप 48 अदद क्रेटिंग के बजाय 68 अदद क्रेटिंग कराये जाने के फलस्वरूप 20 अदद विभागीय बी0 ए0 वायर क्रेटों का अपव्यय हुआ जिसमें विभागीय वायर क्रेट का प्राक्कलन में स्वीकृत दर रू0 929.25 प्रति क्रेट की दर से रू0 18,585 / – सरकारी राशि का अपव्यय हुआ है। कार्य स्थल की सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण में असावधानी संबंधित आरोपित पदाधिकारी द्वारा बरती गयी है। इस प्रकार सरकारी राशि के अपव्यय के लिए श्री सिंह, सहायक अभियंता दोषी पाये गये।

आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयानः–

(i) कार्य विशिष्टि के अनुरूप कराया गया था। इस कार्य के संबंध में अध्यक्ष, विशेष जाँच दल द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी दर्ज नहीं है।

(ii) दिनांक 24.09.06 को बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल के स्थल निरीक्षण के पश्चात प्रपत्र–8 का विभागीय स्तर पर समीक्षा के उपरान्त कराये गये कार्य के लिए मात्र 2.775 लाख की राशि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी, जिसे ही संवेदक को भुगतान किया गया।

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य और आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्या पाये गयेः–

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा 55000 (पचपन हजार) ईंट की आपूर्ति लेकर 68 अदद ब्रीक क्रेटिंग कार्य किये जाने को प्रमाणित माना गया है जिसमें 28 अदद क्रेटिंग कार्य मानक के अनुरूप एवं 40 अदद क्रेटिंग कार्य में मानक से कम ईंट का प्रयोग किया गया। इसकी पुष्टि कार्यपालक अभियंता, निर्मली द्वारा दिनांक 12.12.06 को पारित द्वितीय चालू विपत्र है भुगतित राशि 3,08,288/– के सापेक्ष में रू0 30,745/– ऋणात्मक है, से होती है।

उक्त से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा विशिष्टि के अनुरूप ब्रीक क्रेटिंग कार्य नहीं कराया गया है।

(ii) आरोपित पदाधिकारी द्वारा न्यून विशिष्टि के कार्य के संदर्भ में अंकित किया गया है कि कार्य विशिष्टि के अनुरूप कराया गया एवं विशेष जाँच दल द्वारा विपरीत टिप्पणी नहीं की गई। जबकि विभिन्न स्तरों पर स्थलीय जाँच एवं उनके स्तर से अंकित द्वितीय एवं अंतिम विपत्र से प्रमाणित होता है कि मानक के अनुरूप ब्रीक क्रेट में ईंट का उपयोग नहीं किया गया है।

(iii) संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि 55000 आपूरित ईंट से मानक के अनुरूप 48 ब्रीक क्रेट ही तैयार हो सकता है जबकि 68 ब्रीक क्रेट का प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार 20 अदद विभागीय वायर क्रेट रूपये 18,585/– का स्वीकृत प्राक्कलित दर के आधार पर अपव्यय किया गया है। आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह, सहायक अभियंता द्वारा समुचित मात्रा में ईंट की आपूर्ति न लेकर कम ईंट से ही न्यून विशिष्टि का कार्य कराने एवं 20 अदद विभागीय वायर क्रेट का अपव्यय करने के लिए दोषी हैं।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, गया के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के स्तर से निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः–

(i) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता हैः–

(i) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1143-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in